न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी, रिछपालसिंह बुरड़क R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 36/2017

प्रार्थीगण :–

1. गंगाराम पुत्र श्री गोपाराम
2. दुर्गाराम पुत्र गोपाराम(फौत) के कायम मुकाम–
   - 2/1 जेठाराम पुत्र दुर्गाराम
   - 2/2 धर्मवीर पुत्र श्री दुर्गाराम
   - 2/3 कैलाश पुत्र श्री दुर्गाराम
   - 2/4 हीरादेवी पुत्री श्री दुर्गाराम
   - 2/5 चम्पादेवी पुत्री श्री दुर्गाराम
   - 2/6 धापूदेवी पुत्री श्री दुर्गाराम
   - 2/7 धापूदेवी पुत्री श्री दुर्गाराम
   - 2/8 दाखूदेवी पत्नि श्री दुर्गाराम
3. पुसाराम पुत्री श्री गोपाराम
4. पुखाराम पुत्र श्री गोपाराम(फौत) के कायम मुकाम
   - 4/1 घेवरराम पुत्र पुखाराम
   - 4/2 शोभाराम पुत्र पुखाराम
   - 4/3 सुमेरराम पुत्र श्री पुखाराम
   - 4/4 कालीदेवी पुत्री पुखाराम
   - 4/5 पिस्तादेवी पुत्री पुखाराम
   - 4/6 सायरी पत्नि पुखाराम

   सभी जातियान जाट निवासीयान चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. रखाराम पुत्र श्री लाबुराम
2. पुखाराम पुत्र श्री लाबुराम
3. मालाराम पुत्र श्री लाबुराम
4. रामनिवास पुत्र श्री लाबुराम
5. श्रीमति धायली पत्नि श्री लाबुराम
6. महेन्द्र पुत्र श्री सुखाराम नाबालिग वली माता सोहनी पत्नि श्री सुखाराम

   सभी जातियान मेघवाल निवासीयान चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
7. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
श्री संग्रामसिंह चौहान अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 08.03.2018

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:— ग्राम चिरढाणी की राजस्व सीमा में ख.न. 586 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी तृतीय व ख.न. 586/मिन. 11 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा आयी हुई है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 तक मय ट्रेस नक्शा के सलंग्न पेश है। प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त आराजी मौके पर 14 बीघा 17 बिस्वा स्थित है जिसके चारो तरफ मेड़बन्दी की हुई है। प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त आराजी चिपते पश्चिम तरफ अप्रार्थीगण संख्या एक से छः की खातेदारी कब्जासुदा जमीन खसरा नम्बर 587 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा जमीन आयी हुई है। दोनो खसरों के बीच पुरानी मेडबन्दी आयी हुई है जिसको अप्रार्थीगण शुरू से ही खुर्द करते आ रहे है। जिसको लेकर प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी संख्या एक से छः को समझाईस की लेकिन अप्रार्थीगण मान नही रहे है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी वादग्रस्त आराजी ख.न. 586, 586/मि.11 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा का नाप चौक कर सीमांकन करवाकर चारों तरफ पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थीगण मुटाम(पत्थर) उपलब्ध करवाने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी ग्राम चिरढाणी की राजस्व सीमा में स्थित ख.न. 586, 586/मि. 11 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा का नाप चौक कर सीमांकन करवाया जाकर चारों तरफ पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश फरमावें।

हमने प्राथीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से वकील संग्रामसिंह चौहान ने वकालातनामा प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या, आधारहीन, मनगडन्त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावें। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जाती है तो भूमिधारी के रूप में मुझे कोई आपत्ति नही है।

बहस वकुलाय सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराया एवं वकील प्रार्थीगण ने बहस करते हुए कहा कि ग्राम चिरढाणी की राजस्व सीमा में स्थित ख.न. 586, 586/मि. 11 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा का नाप चौक कर सीमांकन करवाया जाकर चारों तरफ पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश फरमावें। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराया एंव निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या, आधारहीन, मनगडन्त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CT.

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण पक्ष में प्रतित होता है क्योकि प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी का खातेदार व काश्तकार है उसे अपनी खातेदारीसुदा जमीन पर सीमांकन करवा कर मुटाम स्थापित करवाने का पूर्ण अधिकारी है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम चिरढाणी के ख.न. 586 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी तृतीय व ख.न. 586/मि.11 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम चिरढाणी के ख.न. 586 व ख.न. 586/मि.11 भूमि का टीम गठित कर नाप चौप कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 08.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया व सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर